कार्यालय–जिला विधिक सेवा प्राधिकार, राँची

अधिसूचना संख्या–03/2024 28.11.2024

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राँची के पत्रांक 3529 दिनांक 22/11/2024 के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, राँची में 10 (दस) पारा लीगल वोलेनटियर(पारा विधिक स्वयं सेवको) का चयन केवल **कार्यरत या सेवा निवृत्त शिक्षक/ कार्यरत या सेवानिवृत्त चिकित्सक/कार्यरत या सेवानिवृत्त सेना के जवान/ट्रांसजेंडर (Transgender)** में से किया जाना है।

महत्वपूर्ण निदेशः–

1. आवेदक की न्यूनतम आयु 01/01/2024 तक 18 वर्ष होनी चाहिए।
2. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक के साथ अच्छे नैतिक चरित्र होना अनिवार्य है एवं किसी आपराधिक मामले या किसी राजनीतिक संगठन के साथ संबद्ध नहीं होना चाहिए।
3. आवेदक को हस्त लिखित आवेदन दिये गये प्रारूप में दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (एक आवेदन में चिपकाये जाने के लिए) के साथ आवेदन करना अनिवार्य है और आवेदन को न्यायायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, राँची (व्यवहार न्यायालय परिसर) के पते पर कार्यालय अवधि में पूर्वाह्म 10:30 बजे से अपराह्म 4:30 बजे तक दिनांक **07/12/2024** तक निबंधित डाक द्वारा अथवा हाथों हाथ जमा करना होगा।
4. अपूर्ण या अधूरे भरे हुए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. **पारा लीगल वोलेनटियर का चयन केवल कार्यरत या सेवा निवृत्त शिक्षक/ कार्यरत या सेवानिवृत्त चिकित्सक/ कार्यरत या सेवानिवृत्त सेना के जवान/ ट्रांसजेंडर (Transgender) में से किया जाएगा।**
6. पारा विधिक स्वयं सेवको का चयन साक्षात्कार के माध्यम से चयन समिति द्वारा किया जाएगा एवं चयन के संबंध में अंतिम निर्णय चयन समिति का होगा और सभी के लिए बाध्यकारी होगा।
7. पी० एल० वी० के रूप में कार्य हेतू करूणा, सहानुभूति और तत्परता के साथ जरूरतमंदो की सहायता करने के लिए एवं समाज के कमजोर वर्गो के उत्थान की मानसिकता होनी चाहिए।
8. झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राँची द्वारा निर्धारित मानदेय को छोड़कर कोई अन्य वेतन या पारिश्रमिक पी० एल० वी० को उसके कार्य हेतु नहीं मिलता है।
9. पी० एल० वी० के लिए चुने गये उम्मीदवारों को आमलोगों,कानूनी सेवा संस्थानों एवं सरकारी कार्यालयों के बीच सेतु के रूप में कार्य करना होगा और उसे जिले की स्थानीय भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए।
10. आवेदकों को शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाणपत्र, जन्म तिथि इत्यादि कि समर्थन में प्रमाणपत्रों एवं पहचान पत्र/आधार कार्ड/वोटर कार्ड आदि की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ जमा करना होगा।
11. आवेदक को लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि आवेदन पारा लीगल वोलेनटियर के हेतु समर्पित किया गया है।

न्यायायुक्त सह अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकार,राँची

पारा लीगल वोलेनटियर(पारा विधिक स्वयं सेवक)हेतु आवेदन प्रपत्र

स्व अभिप्रमाणित फोटो

1. अभ्यर्थी का नामः—
2. पिता/पति का नामः—
3. माता का नामः—
4. जन्म तिथि, दिन/माह/वर्षः—
5. लिंगः—
6. जातिः—
7. जनजाति/स्थानीय भाषा का ज्ञानः—
8. उच्चतम शैक्षणिक योग्यताः—
9. वर्तमान या पूर्व सेवा का विवरणः—
10. स्थानीय पता और संपर्कः—
11. स्थायी पताः—
12. मोबाईल नम्बरः—

घोषणाः—

मैं ....घोषणा करता/करती हूँ किः
(क) मेरे विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई अपराधिक मामला लंबित नहीं है ना ही मैं सक्षम न्यायालय द्वारा कभी दोषसिद्ध हुआ/हुई हूँ।
(ख) मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय परिसर राँची द्वारा प्रदत्त कार्यो का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं सद्भावना पूर्वक झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राँची द्वारा निर्धारित मानदेय पर करूँगा/करूँगी।

स्थानः

दिनांकः **अभ्यर्थी का हस्ताक्षर**

नोटः—साक्षात्कार की तिथि सिविल कोर्ट रांची की अधिकारिक वेबसाइट
https://ranchi.dcourts.gov.in पर जल्द ही प्रकाशित की जाएगी।
अलग से प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।